न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—32/2016/223 (2016/00032)

1. श्रीमती रतनी देवी पत्नी देवीलाल,
2. पप्पूलाल पुत्र देवीलाल,
3. भोलूराम पुत्र देवीलाल,
4. फौरूराम पुत्र देवीलाल,
5. सांवरा पुत्र देवीलाल,
6. दलपत पुत्र छगना,
7. नाथूलाल पुत्र कल्याण,
8. पप्पूलाल पुत्र रामलाल,
9. ब्रह्माराम पुत्र रामलाल,

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम चिकल्या, तह0 सावर, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. मु0 बदाम बेवा स्व0 कालू पुत्र श्योकरण,
2. रायचन्द्र पुत्र स्व0 कालू,
3. प्रभु पुत्र स्व0 कालू,
4. मंगली पुत्री स्व0 कालू,

समस्त जाति मीणा, निवासी चिकल्या, तह0 सावर, जिला अजमेर ।

वादीगण/रेस्पोडेंटस

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी, दिनांक 13.4.2015 अंतर्गत वाद संख्या 58/2014.

उपस्थितः—

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री आर0पी0शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 5.

निर्णय

दिनांकः— 17.08.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.4.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 92—ए राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम चिकल्या, पटवार हल्का गोरधा, तह0 सावर जिला अजमेर में स्थित है जिसके खाता संख्या 1 नयी पुरानी 1 खसरा नंबर 1997 रकबा 1 है0 है । इस भूमि के पुराने खसरा नंबर 421/1 रकबा 5 बीघा था । वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 421/1 रकबा 5 बीघा विधिवत् रूप से आवंटन समिति द्वारा दिनांक

19.1.1983 को कैम्प गोरधा में वादिया संख्या 1 के पति तथा वादीगण संख्या 2 लगायत 4 के पिता स्व0 कालू पुत्र श्योकरण को आवंटन की गई थी। आवंटन दिनांक से ही कालू पुत्र श्योकरण के कब्जा काश्त में चली आ रही है किन्तु उक्त आवंटित आराजी आवंटन दिनांक से वादीगण की खातेदारी में दर्ज नही हुई है । अतः वाद स्वीकार कर वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 13.4.2015 द्वारा वादीगण/रेस्पो0 का वाद डिक्री कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील धारा 96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की विरूद्ध अपील प्रस्तुति की अनुमति बाबत् पेश कर इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 1997 रकबा 1 है0 पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है । अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने जानबूझ कर अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत वाद में पक्षकार नहीं बनाया तथा एकतरफा में डिक्री पारित करवाई है । विवादित आराजी पर प्रार्थीगण के बाड़े बने हुए है तथा वर्तमान में फसल खड़ी है तथा अन्य व्यक्ति कालू पुत्र माधू भील का विवादित आराजी में मकान भी बना हुआ है । विवादित आराजी आबादी से लगती हुई है जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है । अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से प्रार्थीगण/अपीलांटस के हक व अधिकार प्रभावित हुए है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर प्रार्थीगण/अपीलांटस को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 13.4.2015 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने जानबूझ कर प्रार्थीगण को अधी0न्याया0 के समक्ष वाद में पक्षकार नहीं बनाया जबकि विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है । अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 8.1.2016 को अप्रार्थीगण के मौके पर आकर कब्जा छोड़ने की धमकी दिये जाने पर हुई तब प्रार्थीगण ने उक्त निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति हेतु दिनांक 12.1.2016 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस परदिनांक 13.1.2016 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपीलांटस द्वारा जानबूझ कर विलंब नहीं किया गया है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जावे ।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 ने वाद प्रस्तुत किया उसमें अपीलांटस को जानबूझ कर पक्षकार नहीं बनाया जबकि विवादित आराजी पर अपीलांट काबिज काश्त चले आ रहे है इसलिये वे आवयक पक्षकार थे । वादपत्र के पैरा संख्या 7 से स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर अपीलांटस काबिज काश्त है इसके बावजूद अपीलांटस को पक्षकार बनाये बिना एकतरफा में वाद डिक्री करवाया गया है जिससे अपीलांटस के हक व अधिकार प्रभावित हुए है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांटस विवादित आराजी पर लगभग 40 वर्षो से काबिज काश्त है तथा आराजी रिक्त नहीं है यदि रेस्पो0 के पिता को आवंटन किया भी

गया है तो वह केवल मात्र कागजी आवंटन है । आवंटी का कभी भी विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है न ही उनके वारिसान का कब्जा काश्त है । वादीगण द्वारा 32 वर्षो तक आवंटन को अमल दरामद करने हेतु कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है । अधी0न्याया0 के समक्ष पत्रावली दिनांक 4.12.2014 को वास्ते तनकियात कायम करने के पश्चात् वादीगण की साक्ष्य हेतु रखी गई थी तद्पेरांत दो अवसर पर उन्होंने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की और अचानक पत्रावली को दिनांक 14.3.2015 के द्वारा लोक अदालत की भावना से बहस सुनकर वाद को डिक्री कर दिया । प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 5 राज्य सरकार को भी साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया है । अधी0न्याया0 के समक्ष कोई साक्ष्य प्रदर्शित नहीं करवाई गई और न ही वादीगण के शपथ पत्र पर जिरह हुई है । ऐसी स्थिति में जो साक्ष्य प्रदर्शित नहीं हुई है वह साक्ष्य में पढ़ी नहीं जा सकती है । वादीगण/रेस्पो0 ने आवंटन दिनांक 19.1.1983 से आज दिवस तक कब्जे काश्त बाबत् कोई साक्ष्य पेश नहीं की इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वादीगण का वाद डिक्री करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि तनकी संख्या 2 प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 5 को सिद्ध करनी थी लेकिन उक्त तनकी को सिद्ध करने के लिये रेस्पो0 को कोई साक्ष्य का अवसर ही प्रदान नहीं किया गया तो किस प्रकार उक्त तनकी निर्णित की जा सकती थी कि आवंटित भूमि पर वादीगण का कब्जा है या नहीं । अपीलांटस विवादित आराजी पर पिछले 40 वर्षो से काबिज काश्त है तथा रेस्पो0 के पिता कालू जिसको आवंटन दिनांक 19.1.1983 को होना बताया गया है जो आवंटन होने के 20 वर्ष बाद तक जीवित रहा है जिसने अपने जीवनकाल में न तो राजस्व रिकार्ड में अमल करवाया गया एवं न ही कभी उसको कब्जा प्राप्त हुआ है । वादीगण द्वारा बेदखली का वाद लाये बिना खातेदारी उद्घोषणा का वाद चलने योग्य नहीं था । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

7. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने धारा 96 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के संबंध में कथन किया कि विवादित भूमि रेस्पो0 के पिता को आवंटित भूमि है जिस पर रेस्पो0 का कब्जा काश्त चला आ रहा है । अपीलाधीन भूमि से अपीलांटस का कोई संबंध नहीं है तथा न ही अपीलाधीन निर्णय से अपीलांटस के हक व अधिकार प्रभावित हुए है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 निरस्त कर अपील इसी स्तर पर निरस्त की जावे ।

8. विद्वान वकील रेस्पो0 ने धारा 5 मियाद अधि0 पर बहस में कथन किया कि अपीलांटस ने विलंब के समुचित एवं संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किये है । अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 निरस्त किया जाकर अपील निरस्त की जावे ।

9. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजी खसरा नंबर 421/1 रकबा 5 बीघा भूमि रेस्पो0 के पिता स्व0 कालू पुत्र श्योकरण जाति मीणा को आवंटन समिति द्वारा दिनांक 19.1.1983 को कैम्प गोरधा में आवंटित की गई थी । रेस्पो0 अनुसूचित जन जाति के गरीब काश्तकार है जिन्हें जानकारी नहीं थी कि आवंटन के उपरांत आराजी का अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में किया गया है अथवा नहीं है। विवादित आराजी पर रेस्पो0 के पिता आवंटी कालू तत्पश्चात् रेस्पो0 काबिज काश्त चले आ रहे है । रेस्पो0 के पिता के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश आज दिवस तक बहाल है । यदि विवादित आराजी पर

अपीलांटस का कब्जा काश्त होता तो उन्हें अवश्य आवंटन की जानकारी होती तथा उक्त आवंटन आदेश को निरस्त कराने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करते । आवंटन आदेश किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कराया गया है तथा सक्षम न्यायालय से निरस्त कराये बिना अपीलांटस को किसी प्रकार के हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

10. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है।

11. अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी में कथन किया है कि आराजी खसरा नंबर 1997 रकबा 1.00 है0 पर प्रार्थीगण/अपीलांटस काबिज काश्त है तथा फसल खड़ी हुई है तथा एक अन्य व्यक्ति कालू पुत्र माधू भील का विवादित आराजी में मकान बना हुआ है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस को पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित करवाया गया है जिससे उसके हक व अधिकार प्रभावित हुए है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 421/1 रकबा 5 बीघा रेस्पो0 के पति व पिता को विधिवत् रूप से आवंटन समिति द्वारा दिनांक 19.1.1983 को कैम्प गोरधा में आवंटन की गई थी । खसरा नंबर 421/1 रकबा 5 बीघा के नये खसरा नंबर 1997 रकबा 1.00 है0 कायम हुए है । अपीलांटस ने उक्त आवंटित भूमि पर अपना कब्जा काश्त होने का कथन किया है किन्तु विवादित भूमि पर कब्जे काश्त के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किये है एवं न ही ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया है जिससे यह साबित हो कि विवादित आराजी में अपीलांटस के विधिक अधिकार निहित है । अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से अपीलांटस के हित व अधिकार किस प्रकार प्रभावित हुए है दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश से अपीलांटस के हक व अधिकार प्रभावित होना दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रकट नहीं होता है । अपीलांटस हितबद्ध एवं पीड़ित पक्षकार की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 दस्तावेजी साक्ष्यों से सिद्ध नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है ।

12. अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 खारिज होने से अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.4.2015 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

13. निर्णय आज दिनांक 17.08.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर